**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)**
**पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS**

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 20/2025
रजिस्ट्रेशन नं. : 2025/22

| | | |
|---|---|---|
| राजस्थान राज्य जरिये श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज) | बनाम | अभियुक्त :– श्री राजेन्द्र कुमार कलाल पुत्र श्री बन्सीलाल निवासी वार्ड नं. 6, बुनकर मौहल्ला आंजना, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स राजेन्द्र किराणा स्टोर, मेन रोड आंजना, बांसवाडा (राज.) |

## अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

## निर्णय

दिनांक 07–07–2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.)** के द्वारा दिनांक **30–05–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **19–02–2025** को 4.20 पी.एम. बजे दौरान गस्त बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स राजेन्द्र किराणा स्टोर, मेन रोड आंजना, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री राजेन्द्र कुमार कलाल पुत्र श्री बन्सीलाल** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में राजेन्द्र किराणा स्टोर, मेन रोड आंजना** का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ **Milk Mawa flavoured Toffees (Ambers) एक रेक में 450 ग्राम पैकिंग के 7 पैकेट रखे हुए थे। जो** आम जनता को खाद्य सामग्री बिक्री वास्ते होना बताया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए एक थैली से **Milk Mawa flavoured Toffees (Ambers) के 450 ग्राम के 04 पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 240 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक [illegible] जॉच हेतु खरीदशुदा **Milk Mawa flavoured Toffees (Ambers)** के पैकेट के [illegible] नमूना भाग **तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-2041** लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:42:53 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2025 / 113 दिनांक 17–03–2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 312 दिनांक 03–03–2025 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Milk Mawa flavoured Toffees (Ambers)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2041** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Milk Mawa flavoured Toffees (Ambers)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 04–06–2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 07–07–2025 को अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति नही की जायेगी एवं प्रार्थी के प्रति नरमी का रुख अपनाते हुए अधिकतम जुर्माना को कम किया जाकर कम से कम जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2025 / 113 दिनांक 17–03–2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 312 दिनांक 03–03–2025 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Milk Mawa flavoured Toffees (Ambers)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2041** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:42:52 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयक अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)

ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड **Milk Mawa flavoured Toffees (Ambers)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री राजेन्द्र कुमार कलाल पुत्र श्री बन्सीलाल निवासी वार्ड नं. 6, बुनकर मौहल्ला आंजना, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स राजेन्द्र किराणा स्टोर, मेन रोड आंजना, बांसवाडा को रूपये 25000/– (अक्षरे रू पच्चीस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 07–07–2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।

( अभिषेक गोयल )
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:42:52 IST
Reason: SelfAttested